भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1691

दिनांक 01/08/2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

खुले में शौच की प्रथा को समाप्त किया जाना

1691. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है, यदि हां, तो यह कब घोषित किया गया और किस आधार पर घोषित किया गया;

(ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर उन परिवारों की संख्या कितनी है जो शौचालय का उपयोग नहीं करते हैं और इसलिए खुले में शौच करते हैं;

(ग) एनएफएचएस-5 के अनुसार खुले में शौच करने वाले परिवारों के प्रतिशत के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(घ) विगत पांच वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन योजना से संबंधित वार्षिक बजट आबंटन और वित्तीय व्यय कितना है; और

(ङ) खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने में विफलता के क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रह्लाद सिंह पटेल)

(क): सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] शुरू किया था, जिसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराकर 2 अक्टूबर, 2019 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना था। ओडीएफ को क) पर्यावरण/गांव में कोई दृश्य मल नहीं पाया गया और ख) प्रत्येक घर तथा सार्वजनिक/सामुदायिक संस्था(ओं) द्वारा मल के निपटान के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकीय विकल्प का उपयोग सुनिश्चित करके, मलीय-मौखिक प्रसार की समाप्ति के रूप में परिभाषित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया और सभी गांवों ने 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वयं को ओडीएफ घोषित कर दिया था। सभी जिलों ने भी स्वयं को ओडीएफ घोषित कर दिया और ओडीएफ प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसके आधार पर 2 अक्टूबर 2019 को देश को ओडीएफ घोषित किया गया था।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें स्वास्थ्य संकेतकों पर प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाता है।

(घ): पिछले 5 वर्षों के दौरान एसबीएम (ग्रामीण) के तहत आवंटन और व्यय का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	**आबंटन**	**व्यय**
2017-18	16948.27	16941.96
2018-19	23176.25	21631.16
2019-20	11938.22	11846.00
2020-21	6000.00	4947.92
2021-22	6000.00	3111.36

(ङ): सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को एसबीएम (ग्रामीण), एक केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की थी, जिसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराकर 2 अक्टूबर, 2019 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों को ओडीएफ बनाने का था। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) की पहचान की गई श्रेणियों के सभी परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाने और उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 12000 रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। ग्राम पंचायतों को आवश्यकता के आधार पर सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, ताकि ऐसे परिवार जिनके पास जगह की कमी के कारण व्यक्तिगत शौचालय नहीं हैं, चल/प्रवासी आबादी और उन जगहों पर जहां आम तौर पर बड़ी भीड़ होती है, आदि की स्वच्छता संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। सभी गांवों/जिलों ने पहले ही स्वयं को ओडीएफ घोषित कर दिया है।

तथापि, सृजित हो रहे नए परिवारों के कारण कुछ अंतराल हो सकते हैं जो एक सतत प्रक्रिया है और कुछ शौचालय प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से खराब हो रहे हैं। इसके समाधान के लिए एसबीएम (ग्रामीण) के चरण-II में नए परिवारों के लिए शौचालय निर्माण का प्रावधान जारी रखा गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से यह अनुरोध किया जा रहा है कि सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से शौचालयों के निरंतर उपयोग के लिए खराब हो गए शौचालयों को क्रियाशील बनाया जाए। इसके अलावा, चूंकि स्वच्छता मुख्य रूप से एक व्यवहारिक मुद्दा है, अत: आईईसी/आईपीसी (इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन) गतिविधियों पर लगातार जोर दिया जाता है।

*****